प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दाण्डिक अपील क्रमांक 274/2004

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : राजु यादव उर्फ दुर्गाचरण

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ निर्णय

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

मै सहमत हूं।

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 27.10.2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दाण्डिक अपील क्रमांक 274/2004

अपीलार्थी : राजू यादव उर्फ दुर्गाचरण, पिता नाथूलाल यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया, थाना सरसीवा, जिला रायपुर, वर्तमान निवास छावनी बस्ती पुलिस थाना जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.)

(अभिरक्षा में)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना जामुल, जिला दुर्ग ((छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।

उपस्थित: अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के. तिवारी, अधिवक्ता ।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 27.10.2010 को पारित)

न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा :-

1. इस अपील में सत्र विचारण क्रमांक 7/2003 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 14/1/2004 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत

अपीलार्थी को अपनी पत्नी संतोषी की हत्या और दांडिक मामले के साक्ष्य को छिपाने के अपराध के लिए सिद्धदोष करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास तथा 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

2. दोषसिद्धि इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना ही विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्त रूप में दोषसिद्ध किया और दंडिक किया है और इस प्रकार एक अवैध कार्य किया है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दिनांक 4-5/3/2001 की घटना दिनांक की रात्रि को अपीलार्थी अपनी पत्नी संतोषी (अब मृत) के साथ छावनी बस्ती, भिलाई जिला दुर्ग स्थित अपने घर में उपस्थित था। दूसरे दिन लगभग 9:30 बजे अ.सा. 4 तुकाराम पटेल को वार्ड सदस्य भागवत चतुर्वेदी और जगतराम खुटले ने सूचना दी कि संतोषी का घर बाहर से बंद है और घर के अंदर किसी का शव पड़ा है और किसी घटना का संदेह है, उन्होंने पुलिस थाना जामुल को फोन किया। पुलिस थाना जामुल ने प्र.पी.-9 के तहत रोजनामचा दर्ज किया और घटनास्थल के लिए रवाना हुए। प्र.पी.-1 के तहत घर का पंचनामा तैयार किया गया। प्र.पी.-2 के तहत नजरी नक्शा तैयार किया गया। दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, संतोषी का मृत शरीर कमरे में उसकी गर्दन पर चोट के साथ पड़ा मिला। देहाती नलीशी प्र. पी. 5 के तहत घटनास्थल पर दर्ज किया गया और घटना स्थल पर ही प्र. पी. 8 के तहत देहाती मर्ग भी दर्ज किया गया। अंततः प्र. पी. 5 और प्र पी. 8 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी. 6 तथा मर्ग सूचना प्र.पी. 8 के तहत दर्ज की गई। प्र. पी. 12 के तहत साक्षियों का समन करने के बाद, मृतका संतोषी के शव का मृत्यु समीक्षा प्र. पी. 2 के तहत तैयार की गई। शव को प्र. पी. 13 के तहत जिला अस्पताल, दुर्ग में शव परीक्षण के लिए भेजा गया। अ.सा. 9 डॉ. पी.के. अग्रवाल ने प्र. पी. 4 के तहत शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(i) गर्दन के मध्य भाग पर सूजन और ½ x 1 सेमी के दो खरोंच।

(ii) गर्दन के अन्य भागों पर 4 x 1 सेमी और 4 x 1 सेमी के कई नीलांगू चोट के निशान।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iii) दाहिनी हथेली पर 4 x 3 और 3 x 2 सेमी के नीलांगू चोट के निशान।

(iv) स्वरयंत्र और श्वासनली अवरुद्ध थे। स्वरयंत्र और श्वासनली में रक्त पाया गया।

(v) गर्दन की थायरॉइड और उपास्थि में अस्थिभंग पाया गया। मृत्यु का कारण गला घोंटना था।

4. विवेचना के दौरान, शव के पास एक प्लास्टिक की रस्सी मिली, जिसे प्र. पी-10 के अनुसार एक रिबन सहित जब्त किया गया। दरवाजे का ताला प्र. पी-11 के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त द्वारा लिखा गया एक पत्र प्र. पी-15 के अनुसार जब्त किया गया। विवेचना के दौरान, मृतका के पिता अ.सा.- 12 लखनराम से अभियुक्त और मृतका संतोषी के दो फोटोग्राफ, प्र. पी-3 के अनुसार वस्तुएँ 'क' और 'ख' जब्त की गईं। घटना के बाद अभियुक्त फरार हो गया और अंततः उसे दिनांक 28/11/02 को सरसींवा थाना, जिला रायपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित किया, जहाँ से विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग का प्रकरण को सुनवाई हेतु स्थानांतरण पर प्राप्त किया।

6. अपीलार्थी/अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त का संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जहाँ उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने और झूठे आरोप लगाने का दावा किया और बचाव में यह कहा कि उसकी पत्नी जीवित है और अपने पिता के साथ रह रही है।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध और दण्डित किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. तिवारी और राज्य/प्रत्यर्थी के शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण साव का पक्ष सुना गया। आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होनी चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, उसकी हत्या किसने की और वह कब घर से निकला। अपने मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने का पूरा दायित्व अभियोजन पक्ष पर है, यहाँ तक कि अपीलार्थी भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी को रात्रि 10:00 बजे अपनी पत्नी के साथ देखा गया था, वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था, जो अपने आप में अपीलार्थी की दोषसिद्धि साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **स्टीफन सेनेविरत्ने बनाम द किंग**[1] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अभियुक्त को किसी भी विशिष्ट तथ्य, जो उसके संज्ञान में हो, को सिद्ध करने का कोई निर्देश देना उचित नहीं होगा।

1 AIR 1936 Privy Council 289

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य**[2] मामले का का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी दांडिक मामले में साक्ष्य सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य उसे इस दायित्व से मुक्त करना बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों के लिए बनाया गया है जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे तथ्य स्थापित करना असंभव, या कम से कम अनुपातहीन रूप से कठिन होगा जो अभियुक्त के "विशेष रूप से" संज्ञान में हों और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सके। "विशेष रूप से" शब्द इसी बात पर ज़ोर देता है। इसका अर्थ है ऐसे तथ्य जो मुख्यतः या असाधारण रूप से उसके संज्ञान में हों।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **सावल दास बनाम बिहार राज्य**[3] मामले का का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 या 106 का प्रयोग अभियोजन पक्ष को, तथापि, अभियोजन पक्ष के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के अपने सामान्य या प्राथमिक दायित्व के निर्वहन के कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकता। केवल तभी जब अभियोजन पक्ष ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हों जिन पर विश्वास करने पर दोषसिद्धि सुनिश्चित हो, या जो प्रथम दृष्टया मामला बनता हो, तब उन तथ्यों पर विचार करने का प्रश्न उठता है जिनके सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **मुशीर खान उर्फ बादशाह खान एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[4] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा, चाहे सिविल हो या कम गंभीर दांडिक मामलों में, हत्या के विचारण में निर्दोषता की प्रबल धारणा की तुलना में अत्यंत दुर्बल है।

---

2 1956 C 404 ((S) AIR V 43 C 71 June)
3 1974) 4 SCC 193
4 (2010) 2 SCC 748

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और कहा कि घटना की तिथि पर अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ भोजन किया, संतोषी का मृत शरीर घर के अंदर पाया गया जो बाहर से बंद था और अपीलार्थी उपस्थित नहीं था। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी पर यह स्पष्ट करने का भारी बोझ था कि उसने मृतका का साथ कब छोड़ा, उसने रात्रि 10:00 बजे के बाद अपना घर क्यों छोड़ा, जबकि बिना किसी कारण के घर छोड़ने और वह भी देर रात्रि को डेढ़ वर्ष के लिए फरार होने के बजाय अपनी पत्नी के साथ घर पर रहना उसका स्वाभाविक आचरण हो सकता था। ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और अपीलार्थी की ओर से स्पष्ट नहीं की गई हैं और यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उपरोक्त अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह अपने मामले को सभी संदेहों से परे साबित करे। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य साबित कर दिया है कि अपीलार्थी की पत्नी उसके घर में जीवित थी और अपीलार्थी रात्रि 10 बजे अपनी पत्नी के साथ अपने घर में उपस्थित था। अपीलार्थी का स्वाभाविक आचरण अपने घर में रहना था। अपीलार्थी बिना किसी कारण के देर रात्रि को अपनी पत्नी और घर को छोड़कर चला गया, दूसरे दिन सुबह अपीलार्थी की पत्नी का शव उसके घर में पाया गया, अपीलार्थी का घर बाहर से बंद था, अपीलार्थी डेढ़ वर्ष से फरार था और अंततः उसे पुलिस थाना सरसींवा जिला रायपुर द्वारा दिनांक 28/11/02 को गिरफ्तार किया गया। अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उसने देर रात को अपना घर और अपनी पत्नी को कब छोड़ा और उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, वह डेढ़ वर्ष से फरार क्यों था, उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण कौन है। ये परिस्थितियाँ यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी का हत्या कारित किया है।

17. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

18. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने विशिष्ट बचाव यह किया है कि उसकी पत्नी जीवित है और उसके ससुर के साथ रह रही है। न्यायालय ने अपीलार्थी के ससुर अ.सा.12 लखनलाल का परीक्षण किया, जिन्होंने यह कथन दिया है कि विवेचना अधिकारी ने 2 तस्वीरें प्र. पी-3 के तहत ज़ब्त की हैं, लेकिन विवेचना अधिकारी ने उनसे तस्वीरें, आर्टिकल (वस्तु) क और ख ज़ब्त नहीं की हैं। इसी प्रकार, तस्वीर ख में उनकी पुत्री संतोषी की तस्वीर नहीं है। अभियोजन पक्ष के दस्तावेज़ और साक्ष्य यह नहीं बताते कि तस्वीरें क्यों ज़ब्त की गईं। तस्वीरें पहचान या तुलना के लिए मृतका के शरीर या अभियोजन पक्ष द्वारा मृतका की ली गई किसी भी तस्वीर के साथ नहीं रखी गईं। इन परिस्थितियों में, तस्वीरों की ज़ब्ती का तथ्य निरर्थक है। अ.सा.12 लखनलाल ने यह कथन नहीं दिया था कि उनकी पुत्री जीवित है और उनके साथ रह रही है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी द्वारा दिया गया बचाव किसी भी साक्ष्य या उसके ससुर अ.सा.12 लखनलाल के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान मामले में, अ.सा. 1 मानकुंवर साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ उसके मकान में किरायेदार के रूप में रह रहा था। घटना के दिन, मकान बाहर से बंद था, अपीलार्थी घर पर उपस्थित नहीं था और अंततः अपीलार्थी की पत्नी का शव घर के अंदर पाया गया। उसने अपने अभिसाक्ष्य के कंडिका-5 में यह भी कहा है कि रात्रि लगभग 10:00 बजे उसने अपीलार्थी को उसकी पत्नी के साथ खाना खाते हुए देखा था। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-9 में, उसने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी मकान किराए पर लेने के लिए उसके पास आए थे। अ.सा. 1 मानकुंवर ने संतोषी प्र. पी-2 (मृत्यु समीक्षा) के शव की भी पहचान की है। अपीलार्थी द्वारा शव की पहचान के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जिससे यह पता चले कि वह शव अपीलार्थी की पत्नी का नहीं था। वह कोई अपरिचित नहीं थी।

20. अ.सा. 3 बुधराम, सह-किरायेदार ने अपने साक्ष्य में यह कथन प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी मानकुंवर के घर में किरायेदार के रूप में रह रहे थे। अ.सा..7 बाबूलाल ने अपने साक्ष्य में यह कथन प्रस्तुत किया है कि पुलिस ने संतोषी की तस्वीरें ज़ब्त कर ली हैं, जिन्हें वह बचपन से जानता

था। ये तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी के घर में जो शव मिला था, वह अपीलार्थी की पत्नी संतोषी का ही शव था।

21. जहां तक मानव वध से संबंधित हत्या का संबंध है, अ.सा. 9 डॉ. पी.के. अग्रवाल के साक्ष्य के अनुसार, मृतका संतोषी की गर्दन पर चोट पाई गई थी, गर्दन की थायरॉइड और कार्टिलेज की हड्डी टूटी हुई पाई गई थी। उनके मतानुसार, मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वसन अवरुद्ध होने के कारण था और यह बात उनके प्रतिपरीक्षण में भी असंदिग्ध है और यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि संतोषी की मृत्यु चोट के परिणामस्वरूप हुई और मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी।

22. वर्तमान मामले में, अ.सा. 1 मनकुंवर, जो मकान की मालकिन हैं, का साक्ष्य महत्वपूर्ण है। उनके साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी और मृतका उनके मकान के एक हिस्से में किरायेदार के रूप में रह रहे थे। वे सुबह 6:00 बजे उठ जाते थे, लेकिन उस दिन वे सुबह 7:00 बजे नहीं उठे। मृतका का चप्पल उनके घर के सामने पड़ा था, तब उन्होंने इस बात की सूचना दी। उसने दरवाजा खटखटाया और अन्य लोगों को बुलाया और अंत में, टाइलें हटाने के बाद उन्होंने कमरे के अंदर देखा जहां एक शव पड़ा था। पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस आई और मामले की जांच की गई। अभियुक्त पिछली रात 10:00 बजे तक उपस्थित था और दूसरे दिन सुबह वह उपस्थित नहीं था। उसने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-10 में दिये गये सुझाव से इनकार किया है कि घटना से एक दिन पूर्व अपीलार्थी अपने घर से चला गया था। उसके साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी उसके घर के किराए के हिस्से में रह रहे थे। पिछली रात्रि 10:00 बजे, उसने अपीलार्थी को उसकी पत्नी के साथ देखा था। दूसरे दिन सुबह अपीलार्थी अपने घर में नहीं मिला। घर का दरवाजा बाहर से बंद था और संतोषी अर्थात अपीलार्थी की पत्नी का मृत शरीर अपीलार्थी के कब्जे वाले घर के अंदर पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अ.सा. 4 तुकाराम पटेल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की सूचना मिलने के बाद उन्होंने पुलिस थाना जामुल को फोन किया था। अ.सा. 11 आर.एन. सिंह, विवेचना अधिकारी ने अ.सा. 4 तुकाराम

पटेल से प्राप्त सूचना की सत्यता सिद्ध की है और उक्त सूचना को प्र. पी-9 के रूप में दर्ज किया है। अभियुक्त के रिमांड संबंधी दस्तावेज और पुलिस थाना सरसींवा, जिला रायपुर की डायरी की प्रति से पता चलता है कि जामुल पुलिस थाने द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपीलार्थी को घटना के लगभग डेढ वर्ष पश्चात् दिनांक 28/11/02 को खमरिया, थाना सरसींवा, जिला रायपुर से गिरफ्तार किया गया था।

24. स्टीफन सेनेविरत्ने (पूर्वोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितियों का स्पष्टीकरण न देने पर ही अभियोजन पक्ष अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। निश्चित रूप से, अपने मामले को संदेह की सभी छाया से परे साबित करना अभियोजन पक्ष का प्राथमिक कर्तव्य है और केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देने के आधार पर दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है। लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने तात्विक परिस्थितियों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो इंगित करते हैं कि वर्तमान अपीलार्थी अपराध का सूत्रधार था। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी यह बताने के लिए बाध्य था कि उसने मृतका संतोषी का साथ कब छोड़ा या अपने घर से अर्थात निवास का नैसर्गिक स्थान, वह भी देर रात डेढ़ वर्ष से अधिक समय के लिए क्यों फरार हुआ। यदि परिस्थितियों को समझाया गया होता, तो यह अपीलार्थी को उसके दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त होता लेकिन अपीलार्थी ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जिसे अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **शंभू नाथ मेहरा** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी दांडिक मामले में साक्ष्य का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य उसे इस दायित्व से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए असंभव, या किसी भी तरह से अनुपातहीन रूप से कठिन होगा, ऐसे तथ्य स्थापित करना जो अभियुक्त के "विशेष रूप से" संज्ञान में हों और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सके।

26. निश्चित रूप से, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में उपस्थित था। वह अपना घर छोड़कर चला गया था, उसकी पत्नी चोट लगने के कारण मृत पाई गई थी, वह काफी समय तक अपने घर वापस नहीं आया। ये विशेष तथ्य हैं जो केवल अपीलार्थी के संज्ञान में थे और किसी अन्य व्यक्ति के संज्ञान में नहीं थे, इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए उपरोक्त तथ्यों को स्थापित करना असंभव और अनुपातहीन रूप से कठिन था। जैसा कि **शंभू नाथ मेहरा** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय दिया गया है, अपीलार्थी उस तथ्य को साबित करने के लिए बाध्य था जो विशेष रूप से उसके संज्ञान में था।

27. **सावल दास** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 और 103 अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के अपने साधारण या प्राथमिक दायित्व के निर्वहन के कर्तव्य से मुक्त नहीं करती हैं। केवल तभी जब अभियोजन पक्ष ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हों जिन पर विश्वास करने पर दोषसिद्धि यथावत रहेगी, या जो प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तब उन तथ्यों पर विचार करने का प्रश्न उठता है जिनके लिए साक्ष्य का भार अभियुक्त पर है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के अपने प्राथमिक दायित्व का निर्वहन कर दिया है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी उस तथ्य को साबित करने के लिए बाध्य था जो विशेष रूप से उसके संज्ञान में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. **मुशीर खान उर्फ बादशाह खान और एक अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उत्पन्न उपधारणा, चाहे दीवानी हो या कम गंभीर दांडिक मामले, हत्या के विचारण में निर्दोषता की प्रबल उपधारणा की तुलना में अत्यंत दुर्बल होती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध करने में, अभियुक्त की निर्दोषता की उपधारणा की भूमिका निश्चित रूप से प्रबल होनी चाहिए। कंडिका 44 और 45 इस प्रकार हैं:-

> "**44.** अगला सिद्धांत यह है कि दोष के अनुमान को उचित ठहराने के लिए, दोषसिद्धि संबंधी तथ्य अभियुक्त की निर्दोषता से असंगत होने चाहिए और उसके दोष के अलावा किसी अन्य युक्तिसंगत परिकल्पना के आधार पर व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए।

45. जब हत्या का आरोप केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया जाना हो, जैसा कि इस मामले में हुआ, तो अभियुक्त की निर्दोषता की अवधारणा की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। निबारन चंद्र रॉय बनाम राजा सम्राट के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह तथ्य कि एक अभियुक्त के हाथ में बंदूक चलने के तुरंत बाद बंदूक पाई गई और एक व्यक्ति की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई जिससे बंदूक चलाई गई थी, यह मानना विधि की त्रुटि है कि ऐसी परिस्थितियों में निर्दोषता साबित करने का भार अभियुक्त पर है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अवधारणा में सिविल या कम गंभीर दांडिक मामलों में चाहे जो भी बल हो, हत्या के वाद में यह निर्दोषता की प्रमुख अवधारणा की तुलना में अत्यंत दुर्बल है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अभियोजन पक्ष को अपना प्राथमिक दायित्व पूर्ण करना होगा और यदि अभियोजन पक्ष अपना प्राथमिक दायित्व सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, तो अभियुक्त को उन विशेष तथ्यों को साबित करना होगा जो उसकी जानकारी में थे।

30. अ.सा. 1 मनकुंवर के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी रात्रि 10:00 बजे मृतका संतोषी के साथ उसके घर में उपस्थित था, उसके बाद संतोषी का शव घर के अंदर पाया गया और अपीलार्थी अपने घर में नहीं मिला। निश्चित रूप से, अपीलार्थी को अंतिम बार रात्रि 10:00 बजे मृतका संतोषी के साथ देखा गया था और उसका शव अपीलार्थी के घर के अंदर पाया गया था। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य था कि वह मृतका संतोषी से कब अलग हुआ ।

31. **सहदेवन उर्फ सागादेवन बनाम राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक, चेन्नई**[5], के मामले में, अंतिम बार एक साथ देखे जाने के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध कर देता है कि गुमशुदा व्यक्ति को

5(2003) 1 SCC 534

अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया, तो अभियुक्त के लिए उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा जिनमें गुमशुदा व्यक्ति और अभियुक्त अलग हुए। उक्त निर्णय का कंडिका 19 इस प्रकार है:-

"19. विचारण न्यायालयों द्वारा जिस अंतिम परिस्थिति का आश्रय लिया गया है, वह विचारण में अपीलार्थियों द्वारा वडिवेलु से अलग होने के संबंध में अपनाए गए रुख से संबंधित है। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य स्थापित किया है कि वडिवेलु दिनांक 5.3.1985 की सुबह से उसी दिन कम से कम संध्या 5 बजे तक अपीलार्थियों के साथ देखा गया था, जब उसे उसके घर लाया गया था और उसके बाद दिनांक 6.3.1985 की सुबह उसका शव मिला था। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करें कि वडिवेलु उनसे कैसे, कहाँ और किस तरह अलग हुआ। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति अंतिम बार किसी अन्य व्यक्ति के साथ पाया जाता है, यदि बाद में लापता पाया जाता है, तो जिस व्यक्ति के साथ वह अंतिम बार पाया गया था, उसे उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी होगी जिनमें वे अलग हुए थे। इस मामले में अपीलार्थी इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने कथन में, उन्होंने किसी भी तरह का कोई विशेष रुख नहीं अपनाया है। अ.सा.-25 के साक्ष्य से पता चलता है कि दिनांक 5.3.1985 की दोपहर को जब वडिवेलु को उक्त साक्षी के सामने प्रस्तुत किया गया तो परीक्षण के बाद उसने वडिवेलु को जाने दिया लेकिन फिर उसके साक्ष्य से पता चलता है कि उसने ए-1 को वडिवेलु पर नजर रखने का निर्देश दिया था। ऐसी परिस्थितियों में ए-1 का यह दायित्व था कि वह न्यायालय को बताता कि किन परिस्थितियों में वे अलग हुए। उसने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य स्थापित किया है कि उसी दिन संध्या लगभग 5 बजे वडिवेलु को अपीलार्थियों द्वारा अ.सा.-1 के घर लाया गया था जिसे अ.सा.-5 ने देखा था। अ.सा.-5 के साक्ष्य का यह हिस्सा प्रतिपरीक्षण में निर्विवाद रहा है और इसलिए हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि इस संबंध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में अ.सा.-5 द्वारा कही गई बात सत्य है। यदि ऐसा है तो अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य स्थापित कर दिया है कि दिनांक 5.3.1985 को संध्या 5 बजे वडिवेलु अभी भी इन अपीलार्थियों के साथ था और इसलिए, इस संबंध में अपीलार्थियों की ओर से किसी विशिष्ट स्पष्टीकरण के अभाव में, और अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध साबित की गई अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियों के अनुसार, वडिवेलु के लापता होने में उनकी भूमिका के संबंध में इन अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा। इस बिंदु पर, यह ध्यान देना उचित हो सकता है कि हालांकि अपीलार्थियों द्वारा वडिवेलु के साथ अपने अलगाव के संबंध में कोई विशिष्ट रुख नहीं अपनाया गया है, दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उनके कथन में, अ.सा. 1 और 5 के साक्ष्य से यह देखा जाता है कि ए-1 ने उक्त साक्षियों को दिनांक 5-3-1985 और 6-3-1985 के बीच की रात्रि को बताया कि वडिवेलु पुलिस थाना से भाग गया था जब उसे पुलिस थाना के बरामदे में सोने की अनुमति दी गई थी। ए-1 द्वारा अ.सा.-1 को दिया गया यह स्पष्टीकरण अ.सा. 5 और 14, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है और स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों द्वारा सच्चे तथ्यों को छिपाने के लिए बनाया गया एक हेतुक था और इसलिए, ए-1 द्वारा अ.सा.-1 के समक्ष गलत कथन देने की यह परिस्थिति भी अपीलार्थियों के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में ली जा सकती है, जिससे अपीलार्थियों का अपराध स्थापित हो सके। इस न्यायालय ने एक से अधिक मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष, विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, यह स्थापित करता है कि लापता व्यक्ति को आखिरी बार अभियुक्तों के साथ देखा गया था और उसके बाद कभी नहीं देखा गया, तो अभियुक्त के लिए उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना अनिवार्य है जिसमें लापता व्यक्ति और अभियुक्त अलग हुए **(जोसेफ बनाम केरल राज्य [(2000) 5 एससीसी 197] देखें)**। इसलिए, हम नीचे की न्यायालयों के निष्कर्ष से सहमत हैं कि परिस्थिति क्रमांक 7 भी अपीलार्थियों के विरुद्ध स्थापित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. **त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य**[6] के मामले में, घर के अंदर गुप्त रूप से की गई हत्या के मामले में, गुप्त रूप से किए गए अपराध और स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर विचार करते समय, मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक दायित्व निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप को स्थापित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित स्तर की नहीं हो सकती। उक्त निर्णय का कंडिका 15 इस प्रकार है:-

> "15. जहाँ हत्या जैसा अपराध घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, वहाँ मामले को साबित करने का प्रारंभिक दायित्व निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप को साबित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उतनी नहीं हो सकती जितनी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक होती है। यह दायित्व तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, घर के निवासियों पर अपराध कैसे किया गया, इसका ठोस स्पष्टीकरण देने का दायित्व होगा। घर के निवासी केवल चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर इस आधार पर बच नहीं सकते कि अपना मामला साबित करने का दायित्व पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और किसी भी अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध यह तथ्य सिद्ध कर दिया है कि वह मृतका संतोषी की मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ था। संतोषी की मृत्यु चोट लगने के कारण हुई थी। अपीलार्थी का स्वाभाविक आचरण उसके साथ उसके घर में रहना था, लेकिन वह अपने घर पर नहीं मिला और डेढ वर्ष से अधिक समय से फरार है। अपीलार्थी ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जब उसने संतोषी का साथ छोड़ा था, तो वह पिछले डेढ़ वर्षों से क्यों फरार था, उसने पिछले डेढ़ वर्षों से अपनी पत्नी के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली, किसने उसकी पत्नी को चोट पहुँचाई और किसने उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण बना। इन परिस्थितियों में, केवल यही परिकल्पना संभव होगी कि केवल अभियुक्त ने ही उपरोक्त अपराध कारित किया है और अभियुक्त के अलावा किसी और ने

---

6 (2006) 10 SCC 681

उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। यह किसी अन्य व्यक्ति के दोषसिद्धि और अभियुक्त की निर्दोषता को पूरी तरह से खारिज करता है।

34. उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत सिद्धदोष किया है, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थी ने दांडिक मामले के साक्ष्य को छिपाया है या मिटाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, विधि के अंतर्गत स्थापित विश्वसनीय, ठोस एवं पूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, किन्तु किसी भी साक्ष्य के अभाव में, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश विधि के अंतर्गत संधारणीय नहीं है।

35. उपरोक्त कारणों से, दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश को एतद्द्वारा यथावत रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

टी.पी. शर्मा **आर.एल. झंवर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Angel Kujur, Advocate